संख्या:78/2017/775/35-4-2017

प्रेषक ,

आर.एन.एस.यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक 29 दिसम्बर,2017

विषय: वर्ष 2017-18 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड में संभावित सूखे के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त ग्राम्य विकास विभाग की संस्तुति पर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन 14 पाईप पेयजल परियोजनाओं के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु ग्राम्य विकास विभाग द्वारा रू. 8318.40 लाख की आवश्यकता आंकलित की गई है। एतद्द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की निर्माणाधीन 14 पाईप पेयजल परियोजनाओं के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार रू. 8318.40 लाख (जिसमें अधिष्ठान व्यय एवं 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि सम्मिलित है) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू. 8318.40 लाख (रूपये तिरासी करोड़ अट्ठारह लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस कार्य के लिए कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम होगी :-

(Rs. in Lakh)

	जनपद	परियोजन/आई0डी0	स्वीकृत लागत	कार्य की लागत	पूर्व में प्राप्त धनराशि	वांछित अवशेष धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	Chitrakoot	Bargadh PWS Scheme/ 7349228	7345.77	6529.57	5562.93	966.64	966.64
2	Jhansi	Khalilpura/ 7345983	57.39	51.07	13.34	37.73	37.73
3	Jhansi	Nadaura/ 7382758	35.56	31.64	8.26	23.38	23.38
4	Lalitpur	Bamhouisar/ 7348711	440.26	393.83	301.78	92.05	92.05
5	Lalitpur	Barkhiriya/ 7348721	300.08	264.42	201.68	62.74	62.74
6	Lalitpur	Jamundhana Kalan/ 7348707	274.32	243.15	163.5	79.65	79.65
7	Lalitpur	Bhuchara/ 7348727	312.76	275.67	206.01	69.66	69.66
8	Mahoba	Pipra Maaf (TTSP) / 7506684	174.64	158.81	44.48	114.33	114.33

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	जनपद	परियोजन/आई0डी0	स्वीकृत लागत	कार्य की लागत	पूर्व में प्राप्त धनराशि	वांछित अवशेष धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
9	Lalitpur	Basi Harshpur GOV/ 7233404	5925.7	5290.53	4115.65	1174.88	1174.88
10	Lalitpur	Natthikhera Gov/ 7348754	2934.89	2616.47	353.38	2263.09	2263.09
11	Lalitpur	Patha vijaypura/ 7506669	98.92	88.78	24.72	64.06	64.06
12	Banda	Atarra/ 7377900	1349.61	1204.45	1183.16	21.29	21.29
13	Chitrakoot	Mau GOV/ 7349269	17927.16	16046.68	12771.93	3274.75	3274.75
14	Hamirpur	Chandaut Danda/ 7348726	169.32	151.66	77.51	74.15	74.15
		TOTAL	**37346.38**	**33346.73**	**25028.33**	**8318.40**	**8318.40**

1- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

2- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की निर्माणाधीन 14 पाईप पेयजल परियोजनाओं के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।

3- शासनादेश संख्या-10/2015-427/35-1-2015 दिनाँक 10 अप्रैल,2015 के क्रम में उक्त कार्य का अनुश्रवण ई-परियोजना प्रबंधन के अंतर्गत किया जायेगा। इसके लिये प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 जल निगम, द्वारा निम्नलिखित सूचनायें उपलब्ध कराने हेतु एक अधिकारी को नामित कर दिया जायेगा। स्वीकृति निर्गत होने के एक पक्ष के अन्दर शासन को निम्न सूचनायें अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी:-

अ- नामित अधिकारी का नाम/पदनाम
ब- नामित अधिकारी का मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आईडी
(परिवर्तन होने पर अद्यावधिक सूचना शासन को उपलब्ध कराई जाये)
स- परियोजना प्रारम्भ होने की अनुमानित/वास्तविक तिथि
द- परियोजना पूर्ण करने की अनुमानित तिथि

4- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक पक्ष में परियोजना को अलग-अलग चरणों में विभाजित करते हुये प्रत्येक चरण को पूर्ण करने की संभावित तिथियों का निर्धारण किया जायेगा। यह कट-आफ तिथियाँ माइलस्टोन के रूप में जानी जायेगी। इन माइलस्टोन्स में टेण्डर प्रक्रिया, अन्य विभागों से आवश्यक स्वीकृतियाँ/अनापत्तियाँ, निर्माण कार्य के अलग-अलग चरण, उपकरण क्रय, सृजित अवस्थापना को संबंधित विभाग को हस्तान्तरण/क्रियाशील बनाना आदि सम्मिलित होगा। कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा शासन द्वारा आनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से की जायेगी।

5- यदि आवश्यक हो तो ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से संबंधित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई,2017 तथा शासनादेश संख्या-1107/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई,2017 एवं तद् विषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार कार्यों का विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है।

7- प्रश्नगत कार्यों के लिए नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

8- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

9- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2018 तक पूर्णरूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2018 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2018 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

10- प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 जल निगम, द्वारा राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2018 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

11- जिलाधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय रखते हुये समयबद्ध एवं गुणात्मक कार्य सुनिश्चित कराया जायेगा।

12- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। इस संदर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षणकर्ता को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

13- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 जल निगम का होगा और उनके द्वारा तदनुसार नियोजन विभाग को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रेषित की जायेगी ।

14- परिसम्पत्ति के सृजन के उपरांत इसके रखरखाव हेतु सम्बंधित विभाग को हस्तगत कर दिया जायेगा।

15- अवमुक्त धनराशि का निर्धरित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

16- निर्माण कार्यों को निर्धारित विशिष्टियों/मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जायेगा। अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

17- यदि देय हो तो जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी।

18- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा

19- त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्ष-4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-01-जलपूर्ति-102-ग्रामीण जलपूर्ति-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-01-जलपूर्ति कार्यक्रमों के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-1072(1)/दस-2017 दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव

संख्या:78/2017/775 (1)/35-4-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव/सचिव ग्राम्य विकास/नगर विकास।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
6- मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूट।
7- जिलाधिकारी, चित्रकूट/झांसी/ललितपुर/महोबा/बांदा/हमीरपुर।
8- मुख्य विकास अधिकारी, चित्रकूट/झांसी/ललितपुर/महोबा/बांदा/हमीरपुर।।
9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10-उप निदेशक अर्थ एवं संख्या, झांसी/चित्रकूट।
11-गार्ड फाईल।
12-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
13-राज्य योजना आयोग-1
14-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, चित्रकूट/झांसी/ललितपुर/महोबा/बांदा/हमीरपुर।

आज्ञा से ,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।